

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37()पंरावि/प्रशा2/मंत्रा/स्था-द्वितीय./2018/3158

जयपुर दिनांक 21.8.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद- डूंगरपुर ।

विषय:-श्री घनश्याम पालीवाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति सीमलवाड़ा का
स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति डूंगरपुर में करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि श्री घनश्याम पालीवाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर में कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश से पूर्व रिकार्ड से मिलान करना भी सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है

नोट:-

- 1 यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम से किया जावे
- 2 यदि कार्मिक मा.न्यायालय/वादकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
- 3 यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो प्रभावित कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे।
- 4 कार्मिक का परीवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है यह सुनिश्चित किया जावे।

(दिनेश कुमार जांगिड़)

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 विशिष्ट सहायक मा.मंत्री महोदय ग्राविपराज जयपुर ।
- 2 निजी सचिव शासन सचिव पंचायती राज विभाग जयपुर ।
- 3 एसीपी मुख्यालय अपलोड करने बाबत ।
- 4 विकास अधिकारी पं.स. सीमलवाड़ा/डूंगरपुर ।
- 5 सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति ।

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त